REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,

BETA –II, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDH NAGAR.

Reference No.: 1251/NGT-54/2024 Dated: 16.01.2024

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
New Delhi

Sub:- O.A. No. 392 of 2022; Prasoon Pant Vs. Union of India

Sir,

With respect to above subject it is to inform you that the Joint Committee held a meeting on 11.01.2024 and in the said meeting it was unanimously decided that the Greater Noida Authority will produce the relevant data lying with them regarding withdrawal of underground as well as STP Water. Upon receipt of the data, the same will be placed before the Central Ground Water Authority for the purpose of determination of the Environmental Compensation to be leveled finally against each defaulter. Since the data is not provided so far, hence the report as per the order dated 08.12.2023 could not be finalized. Therefore, it is humbly requested that the present letter be placed before the Hon'ble Tribunal for seeking 4 weeks' more time. Copy of minutes of meeting dated 11.01.2024 is enclosed.

With regards,

Enclosure: As above

Your sincerely,

16.01.2024
(D.K. GUPTA)
REGIONAL OFFICER

Copy to: For kind perusal and necessary action please.

1. Mr. Pradeep Misra, Adv., Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi.
2. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Chief Environmental Officer, Circle-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

16.01.2024
REGIONAL OFFICER

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0-392/2022,प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में भूगर्भ जल दोहन प्रकरण पर प्रश्नगत 41 परियोजनाओं पर Final Compensation की गणना किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी महोदय (प्र0) की अध्यक्षता में संयुक्त समिति की संपन्न बैठक दिनांक 11.01.2024 का कार्यवृत्त |

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0सं0-392/2022,प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 में परियोजनाओं पर Final Compensation की गणना किये जाने के सम्बन्ध में प्रासंगिक अंश निम्नवत है –

" ....11. Following the above order, we issue directions for sealing of all borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with different element and the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to at least 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects. **Final compensation may be assessed by the Joint Committee compromising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate............"**

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी(प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में संयुक्त समिति (केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, खंड गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण) की बैठक दिनांक 11.01.2024 को आयोजित की गई | बैठक की उपस्थिति संलग्न है |

सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ,ग्रेटर नोएडा एवं भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा मा0 एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में अब तक की गयी कृत कार्यवाही के विस्तृत विवरण से महोदय को अवगत कराया गया | भूगर्भ जल विभाग द्वारा अवगत कराया गया उक्त वाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हाऊसिंग परियोजनाओं द्वारा अवैध भू-गर्भ जल निष्कर्षण के सम्बन्ध में है | अग्रेतर क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में अब तक कृत कार्यवाही की अनुपलान आख्या मा0 एनजीटी में दाखिल की जानी है, साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि मा0 एनजीटी की अगली सुनवाई की तिथि 18.01.2024 निर्धारित की गयी है |

भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा यह अवगत कराया गया यह संयुक्त समिति की बैठक प्रश्नगत परियोजनाओं पर **Final compensation** की गणना किये जाने हेतु आयोजित की जा रही है | समिति द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत विषय में **Final compensation** हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ही सूचना दी जानी है | इस सन्दर्भ में पुर्व की बैठकों में दिए गए निर्देशानुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से संदर्भित परियोजनाओं में प्राधिकरण के द्वारा आवश्यकता के सापेक्ष कम जलापूर्ति, जलापूर्ति न किये जाने एवं निर्माण में प्राधिकरण के एस०टी०पी० ट्रीटेड वाटर का प्रयोग किये जाने सम्बन्धी विवरण उपलब्ध कराया गया है |

किन्तु उपरोक्त विवरण से **Final Compensation या Environmental Compensation** की गणना किये जाने हेतु वांछित आंकड़ें अपर्याप्त है |

अत: समिति के उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत निम्न बिंदु तय किये गए –

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत 41 परियोजनाओं से पत्राचार कर निर्माण के दौरान उपभोग किये गये जल की मात्रा एवं श्रोत का विवरण के अभिलेखों को प्राधिकरण में कार्यालय अभिलेखों से मिलान करते हुए प्रश्नगत 41 परियोजनाओं में किये गये भूगर्भीय जल की मात्रा एवं भूगर्भीय जल निष्कर्षण की अवधि स्पष्ट उल्लेख करते हुए विवरण समिति को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ प्रबंधक (जल), ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के लिए निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत 41 परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से परियोजना द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोजित जल का प्रकार एवं खपत की मात्रा एवं अवधि सम्बंधित जानकारी एवं वांछित अभिलेख प्राप्त किया जाये जिससे परियोजना द्वारा निर्माणधीन चरण तक जल की कुल कितनी मात्रा की खपत की गयी है उसके आधार पर परियोजनाओं के विरूद्ध **Final Compensation की गणना की जा सके |**

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण)

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ से उपस्थित अधिकारी, श्री जगदम्बा प्रसाद, (साइंसटिस्ट डी), द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं से सम्बंधित सभी अभिलेख प्राप्त किये जाये (यथा निर्माण कार्य के दौरान परियोजना द्वारा उपयोग में लिए गए शोधित जल की मात्रा तथा कुल अवैध भूजल निष्कर्षण की मात्रा) , जिससे अवैध भूगर्भ जल निष्कर्षण की सही मात्रा एवं निष्कर्षण की अवधि का पता लग सके | अंत में सभी का धनयवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया |

(अंकिता राय)
हाइड्रोलाजिस्ट
भूगर्भ जल विभाग
खंड-गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड- गौतमबुद्धनगर

पत्रांक- 353 /भू०ज०वि० खंड-गौतमबुद्धनगर/एनजीटी-ओ.ए.392/2022 दिनांक. 16 /01/2024

प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ |
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, को सादर सूचनार्थ |
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ |
4. सम्बंधित विभाग/अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क्रप्या उपरोक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें|

हाइड्रोलाजिस्ट
भूगर्भ जल विभाग
खंड-गौतमबुद्धनगर